न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–13/2021

1. पूर्णराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी धान्धूसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. चरण सिंह पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी धान्धूसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

– निगरानीकर्ता (प्रार्थीगण)

1. ग्राम पंचायत धान्धूसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धान्धूसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) ग्राम पंचायत धान्धूसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. मुन्शीराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी धान्धूसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– गैरनिगरानीकर्ता (अप्रार्थीगण)

उपस्थितः– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री देवदत भीडासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री आशीष भीडासरा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–03

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर

निर्णय दिनांक–23/08/2023

प्रार्थीगण पूर्णराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी धान्धूसर तहसील रावतसर एंव चरण सिंह पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी धान्धूसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक 36 दिनांक 20.06.2021 ग्राम पंचायत धान्धूसर पंचायत समिति रावतसर जिसके द्वारा प्रार्थीगण को पट्टा शुदा भूखण्ड साईज 70 गुणा 70 फुट पर निर्माण कार्य करने से रोका गया, को अपास्त किये जाने बाबत प्रस्तुत निगरानी के संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार है–

23/8/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. प्रार्थीगण गांव धान्धूसर ग्राम पंचायत धान्धूसर पंचायत समिति रावतसर के स्थाई निवासी है। प्रार्थीगण के आधिपत्य में ग्राम पंचायत धान्धूसर की आबादी भूमि में एक भूखण्ड साईज 70 गुणा 70 फुट है। ग्राम पंचायत धान्धूसर पूर्व में ग्राम पंचायत मोटेर में स्थित थी व राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में धान्धूसर नई पंचायत बनाई गई थी। उक्त भूखण्ड में उत्तर दक्षिण 60 फुट व पूर्व पश्चिम 70 फुट का पट्टा जरिये मिसल सं. 182 दिनांक 14.08.78 को सरपंच ग्राम पंचायत मोटेर द्वारा पट्टा सं. 125 दिनांक 11.10.1981 को जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड के उत्तर में पूर्णराम हरिजन का मकान, दक्षिण में गली आम 20 फुट व गौशाला, पूर्व में गली आम 40 फुट व पुराना कुंआ एवं पश्चिम में औमप्रकाश स्याग का मकान स्थित है।
2. निगरानी प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित 70 गुणा 70 फुट का भूखण्ड 60 वर्षों से प्रार्थी सं. 1 पूर्णराम पुत्र किशनाराम के आधिपत्य में है। उक्त भूखण्ड में 70 गुणा 60 फुट का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 40 वर्ष पूर्व जारी किया हुआ है। शेष 10 फुट जगह पुराना कब्जा की होने के कारण पट्टाशुदा भूखण्ड के साथ ही प्रार्थीगण हमेशा से काबिज है। प्रार्थीगण के भूखण्ड का मुख्य द्वार पूर्व की ओर स्थित गली आम में है। प्रार्थीगण ने भूखण्ड के चारों ओर पक्की ईंटों से चार दिवारी का निर्माण कर रखा है। वर्तमान में उक्त 70 गुणा 70 फुट भूखण्ड का उपयोग प्रार्थीगण कर रहे हैं।
3. प्रार्थीगण ने अपने पट्टाशुदा भूखण्ड में आवास निर्माण हेतु ईंटे आदि डाल रखी हैं व निर्माण हेतु नींव आदि की खुदाई करने लगे तो अप्रार्थी सं. 3 मुन्शीराम ने पंचायत समिति रावतसर में गलत तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धान्धूसर ने दिनांक 20.06.2021 को नोटिस जारी कर प्रार्थीगण के पट्टाशुदा भूखण्ड पर आवास निर्माण में रोक लगा दी एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में भूखण्ड के सम्बन्ध में 3 दिवस में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया। प्रार्थीगण ने भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर दिया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई व भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने से रोक दिया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अप्रार्थी सं. 3 मुन्शीराम को प्रार्थीगण के भूखण्ड पर अवैध कब्जा करवाने के उद्देश्य से एंव राजनैतिक द्वेषता के कारण प्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को पट्टा शुदा भूखण्ड एवं अवैध रूप से बेदखल करने पर उतारू है। इसलिए प्रार्थीगण को जारी नोटिस क्रमांक 36 दिनांक 20.06.2021 निम्न आधारों पर आपस्त करने योग्य है।

   (क) अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 36 दिनांक 20.06.2021 कतई गलत, विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध व मनमाने रूप से अप्रार्थी सं. 3 मुन्शीराम को अनुचित लाभ दिलाने के उददेश्य से जारी किया होने के कारण अपास्त करने योग्य है।

23/8/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(ख) आक्षेपित नोटिस जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा कोई मौका निरीक्षण नहीं किया गया व ना ही कोई नोटिस जारी करने से पूर्व प्रार्थी को कोई सूचना दी गई। केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता व प्रार्थीगण को पट्टाशुदा भूखण्ड में बेदखल करके अप्रार्थी सं. 3 मुन्शीराम को अवैध कब्जा करवाने के उददेश्य से मिथ्या व विधि विरूद्ध नोटिस जारी किया गया है, जो अपास्त योग्य है।

(ग) प्रार्थी सं. 1 को जारी किया गया नोटिस दिनांक 20.06.2021 बिना क्षेत्राधिकार व विधि विरूद्ध जारी किया गया है क्योंकि प्रार्थी सं. 1 को ग्राम पंचायत मोटेर द्वारा जरिये मिशल सं. 1182 दिनांक 14.08.78 में दिनांक 11.10.81 को पट्टा सं. 125 जारी किया गया व उक्त पट्टा आज भी प्रभाव में है। ग्राम पंचायत को पट्टाशुदा भूखण्ड में पट्टाधारी को बेदखल करने अथवा पट्टाशुदा भूखण्ड में निर्माण रोकने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए उक्त आदेश अपास्त योग्य है।

(घ) प्रार्थी सं. 1 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सं. 125 दिनांक 11.10.81 को जारी किया गया है। जिसमें भूखण्ड का क्षेत्रफल उतर दक्षिण 60 फुट व पूर्व पश्चिम 70 फुट है। उक्त भूखण्ड के पूर्व में 40 फुट की गली है। जिसका इन्टरलॉक ब्लॉक में पंचायत द्वारा पक्का निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी के भूखण्ड का मुख्य द्वार पूर्वी तरफ सड़क पर है। उक्त सड़क व प्रार्थी के भूखण्ड के मध्य 10 फुट जगह पर प्रार्थीगण का कब्जा भूखण्ड का पट्टा जारी होने से पूर्व का ही है। सड़क के पूर्वी तरफ सार्वजनिक कुंआ व उसकी खाली जगह है। उक्त 10 गुणा 70 फुट की खांचा भूमि पर कब्जा है। प्रार्थीगण ने 70 गुणा 70 फुट की जगह पर पक्की चार दीवारी का निर्माण कर रखा है। प्रार्थीगण उक्त 10 फुट खांचा भूमि को नियम 157 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत नियमन करवाने के अधिकारी हैं एवं इस हेतु प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत धांधूसर में नियमन (विनियमतिकरण) करवाने हेतु आवेदन भी कर रखा है परन्तु अप्रार्थीगण इस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, इसलिए नोटिस दिनांक 20.06.2021 अपास्त योग्य है।

(ड़) ग्राम पंचायत धान्धूसर में आबादी भूमि में अधिकांश व्यक्तियों ने भूखण्डो पर कब्जे करके आवास निर्माण कर रखे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। परन्तु केवल मात्र राजनैतिक द्वेषता के कारण प्रार्थीगण को पट्टाशुदा भूखण्ड पर निर्माण करने से रोका जा रहा है।

(च) प्रार्थीगण का किसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा पार्क, जोहड़ आदि पर कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण अपने पट्टेशुदा भूखण्ड साईज 60 गुणा 70 व उसके चिपते 10 फुट खांचा भूमि पर काबिज है। जिससे किसी आमजन को आने जाने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए उक्त नोटिस अपास्त करने योग्य है।

23/8/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नोटिस दिनांक 20.06.2021 निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत धान्धुसर का रिकार्ड पंचायत समिति रावतसर से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–03 की ओर से श्री विजयसिंह कड़वासरा उपस्थित हुये। अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजपाल झोरड़ एंव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–03 श्री विजयसिंह कड़वासरा उपस्थित हुये। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत धान्धुसर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 36 दिनांक 20.06.2021 को खारिज किया जाकर निगरानी को स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–03 ने अपनी बहस में न्यायालय द्वारा निगरानी को मैरिट के आधार पर निर्णित करनें का निवेदन किया।

हमनें अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। देखने पत्रावली से ज्ञात होता है कि प्रार्थी को जो नोटिस दिया गया है उसमें किसी जांच के विचाराधीन होने के कारण निर्माण आदि पर रोक लगाई गई है। परन्तु रोक लगाने का कारण, जारी जांच के तथ्य आदि कुछ भी इस नोटिस से जाहिर नहीं होता है। निगरानीकर्ता के निर्माण पर रोक लगाते हुए उसे संबंधित तथ्य की जानकारी भी नहीं दी गई। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। ऐसे में यह निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है और प्रश्नगत नोटिस क्रमांक 36 दिनांक 20.06.2021 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 23·08·2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

23/08/23
(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर हनुमानगढ़,